कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा।

(आदेश)

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा संचालित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 दिनांक–17.03.15 से 24.03.15 तक चलेगी। उक्त परीक्षा हेतु उच्च विद्यालय, धमदाहा/उ0क्र0म0 विद्यालय हरिजन, धमदाहा तथा संस्कृत मध्य विद्यालय, धमदाहा में परीक्षा केन्द्र निर्धारित है। उक्त केन्द्र में परीक्षा 9.45 बजे पूर्वाहन से प्रारंभ होकर 5.15 बजे अपराह्न में समाप्त होगी। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र के इर्द–गिर्द अनाधिकृत व्यक्तियो के इकत्रित होने की संभावना है तथा विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसको रोकने तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के अंतर्गत शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं पवित्र वातावरण में परीक्षा संचालन कराने हेतु मैं कमलेश कुमार सिंह, अनुमंडल दंडाधिकारी, धमदाहा दं0प्र0स0 की धारा–144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एतिहातिक तौर पर उच्च विद्यालय, धमदाहा परीक्षा केन्द्र के मुख्य गेट से 500 सौ गज व्यासार्ध में दिनांक–17.03.15 से 24.03.15 तक निषेधाज्ञा लागू करता हूँ। इस आदेश के अंतर्गत परीक्षार्थी, परीक्षा कार्य में लगे वीक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी/दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी तथा आरक्षीबल को छोड़ कर अनाधिकृत व्यक्तियों के उपर्युक्त सीमा के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा तथा कोई व्यक्ति घातक हथियार के साथ उपर्युक्त क्षेत्र में नही रहेगा एवं उसका प्रदर्शन नही करेगा। उपर्युक्त सीमा में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, सभा करना, लॉउडस्पीकर का प्रयोग करना, मटर गस्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात तथा अन्य सामग्री वितरित करना अथवा कराया जाना बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानो का उल्लंघन, परीक्षा की गोपनीयता, परीक्षा केन्द्र पर अथवा किसी माध्यम से प्रकट करना या कराने का प्रयास वर्जित रहेगा।

जो व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते हुए शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न करेगें उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम–1981 के तहत तथा भा0द0वि0 के सुसंगत धाराओ के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश दिनांक–17.03.15 से 24.03.15 तक लागू रहेगा।

16/3/15

अनुमंडल दंडाधिकारी,
धमदाहा।

ज्ञापांकः– 553/गो0,दिनांकः– 16/03/15

प्रतिलिपिः– सभी केन्द्राधीक्षक/सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, धमदाहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के निदेशानुसार अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार धमदाहा अनुमंडल में कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला दंडाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

16/3/15

अनुमंडल दंडाधिकारी,
धमदाहा।